रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D.(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 11, 1980/अग्रहायण 20, 1902
No. 14] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11, 1980/Agrahayana 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1980

का. नि. आ. 17(अ).—सशस्त्र सेना (आपात ड्यूटियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की दिनांक 14 नवम्बर, 1980 की अधिसूचना का. नि. आ. 13-ई, के अनुक्रम में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा असम राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण, संभरण, संचालन और अनुरक्षण तथा पाइप लाइनों और तेल प्रतिष्ठानों को चलाने से संबंधित प्रत्येक सेवा को 14 दिसम्बर,

1980 से एक महीने की और अवधि के लिए समाज के लिए अत्यधिक महत्व की सेवा घोषित करती है ।

[फाइल सं. 2(35)/80)/डी. (जी॰ एस॰-1]

के. ए. नम्बियार, संयुक्त सचिव (जी)

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 1980

S.R.O. 17-E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 13-E dated the 14th November 1980, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, the generation, supply, operation and maintenance of petroleum products and running of oil installations and pipelines in Assam to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 14th December, 1980.

[F. No. 2(35)/80/D(GS.I)]

K. A. NAMBIAR, Jt. Secy. (G)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980